Proposal no.- FP/UK/WATER/29879/2017
Objection Date-14-11-2017

Point No.	Query	Reply
1	The applicant details does not match with the authority letter issued to filled online form.	परियोजना के अभिलेखों को ऑनलाईन अपलोड करने हेतु अधिकृत श्री अजयपाल सिंह (ए0पी0सिंह), सहायक अभियन्ता का विवरण ऑनलाईन फार्म के अनुसार सशोंधित कर कॉलम A.3 (xvii) पर अपलोड कर दिया गया है। (संलग्न)
2	Please upload proper and detailed justification for the proposed project in forest area.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का औचित्य पूर्ण विवरण कॉलम D.(i) पर अपलोड कर दिया गया है। (संलग्न)
3	Employment details provided in online part-I appears incorrect. The user agency may review the same and provide correct details.	Employment details Coloumn E. (i,ii,iii) पर अंकित कर दी गई है। (संलग्न)
4	Please upload administrative and financial approval for the proposal in additional information section of Form A.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अपलोड कि गई है। आपत्ति के निराकरण हेतु Additional information Details पर पुनः अपलोड कर दिया गया है। (संलग्न)
5	Please upload layout plan for the project.	layout plan लागू नही है।

संलग्नकः—यथोपरि।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
चम्बा।

परियोजना का नामः–

जनपद टिहरी गढ़वाल की विकासखण्ड थौलधार के वन अर्न्तगत सूरीधार ग्रा0स0 पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

प्रारूप–1

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के अभिलेखों को ऑन लाईन अपलोड करने हेतु श्री अजयपाल सिंह (श्री ए0पी0 सिंह), सहायक अभियन्ता, कार्यदायी संस्था–जल निगम, चम्बा को अधिकृत किया जाता है।

Executive Engineer
Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam
Chamba (Tehri Garhwal)

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा, जल निगम,
चम्बा, टि0ग0।

परियोजना का नामः–

जनपद टिहरी गढ़वाल की विकासखण्ड थौलधार के वन अर्न्तगत सूरीधार ग्रा0स0 पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि की मांग का पूर्ण औचित्य हेतु आख्या

(परियोजना के सम्बन्ध में विवरण)

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड थौलधार के न्याय पंचायत रामगांव की 18 ग्राम पंचायतों के 28 राजस्व ग्रामों की 92 बस्तियों में पेयजल का अत्याधिक संकट है। इन ग्रामों/तोकों में पेयजल की आपूर्ति हेतु जन समुदाय की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार द्वारा घोषणा संख्या 31–16/XXXV-4-644 घो0 /2012, देहरादून, दिनांक 22.06.2012 द्वारा घोषणा की गयी कि शीघ्रातिशीघ्र पेयजल योजना से इन ग्रामों /तोकों को आच्छादित किया जायेगा, के अनुपालन में इन 92 तोकों में पेयजल आपूर्ति हेतु पेयजल के सभी विकल्पों का विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने के कारण पम्पिंग विकल्प से ही उक्त तोकों में पेयजल की आपूर्ति हेतु सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 1295/उन्तीस(2)/16–2 (35 पे0)/2012 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 03 अगस्त, 2016 के द्वारा स्वीकृत की गयी है। योजना के संरेखण हेतु विस्तृत अध्ययन उपरान्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने के कारण योजना के निर्माण हेतु 0.285 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.445 हे0 सिविल सोयम भूमि कुल 0.73 हे0 वनभूमि की नितान्त आवश्यकता है। अतः उक्त परियोजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित /सिविल सोयम वनभूमि की 30 वर्षो की लीज पर लिये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के निर्माण उपरान्त 18 ग्राम पंचायतों के 28 राजस्व ग्रामों के 92 बस्तियों में निवासरत लगभग 3775 परिवारों जिनकी जनसंख्या 18871 है, को जीवनयापन हेतु अतिआवश्यक पेयजल उपलब्ध हो जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,
जल निगम, चम्बा, टि0गढ0।

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Sansadhan
Vikas Evam Nirman Nigam
Chamba (Tehri Garhwal)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,
जल निगम, चम्बा, टि0गढ0।

परियोजना का नामः–

जनपद टिहरी गढ़वाल की विकासखण्ड थौलधार के वन अर्न्तगत सूरीधार ग्रा0स0 पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

परिशिष्ट
(फार्म–क)

राज्य सरकारों द्वारा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	सूरीधार ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	2342.29 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	अन्य विकल्प न होना
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नही
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	12 व्यक्ति
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः	0.285 हे0 (आरक्षित वन भूमि) 0.445 हे0 (सिविल सोयम)
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	नही
क) परिवारों की संख्या	नही
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	नही
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	
क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?	हां

परियोजना का नामः–

जनपद टिहरी गढ़वाल की विकासखण्ड थौलधार के वन अर्न्तगत सूरीधार ग्रा0स0 पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.73 हे0 आरक्षित वन/ सिविल सोयम भूमि का 30 वर्षो की लीज पर दिया जाना।

(हां/नही)

4. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)

5. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा। — संलग्न

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा, निर्माण शाखा,
जल निगम, चम्बा, टि0ग0।

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Chamba (Tehri)